

1. बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights-IPR) की अवधारणा

- बौद्धिक संपदा **बुद्धि की रचनाओं को संदमित करता है**, जिसमें शामिल हैं: **आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य**, और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले **प्रतीक, नाम, चित्र और डिजाइन**।
- अनुसंधान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए IPR केंद्रीय हैं क्योंकि किसी प्रकार की सुरक्षा के बिना, निवेशक और अन्वेषक अपने रचनात्मक प्रयासों से लाभ नहीं उठा पाएंगे।

2. IPR के प्रकार

प्रकार	विवरण
1. पेटेंट	किसी आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार । यह पेटेंट मालिक को ये निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है कि आविष्कार का उपयोग दूसरों द्वारा कैसे - या क्या - किया जा सकता है।
2. कॉपीराइट	एक कानूनी शब्द जिसका उपयोग रचनाकारों के उनके साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
3. ट्रेडमार्क	यह एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है।
4. औद्योगिक डिजाइन	एक औद्योगिक डिजाइन में किसी वस्तु के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू शामिल होते हैं। यह उस रूप-रंग या सौन्दर्यपरक शैली की रक्षा करता है।
5. भौगोलिक संकेत	उन वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाले संकेत जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान में पाए जाते हैं।
6. व्यापार रहस्य	व्यापार रहस्य एक सूत्र, अभ्यास, प्रक्रिया, डिजाइन या जानकारी का संकलन है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय द्वारा प्रतिस्पर्धियों पर लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी गुप्त जानकारी का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रकटीकरण एक अनुचित व्यवहार माना जाता है।

3. IPR के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ (International Arrangements for IPR)

3.1. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization-WIPO)

3.1.1. WIPO के बारे में

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन **संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी** है जो **नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने** के साधन के रूप में बौद्धिक संपदा (पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन इत्यादि) के उपयोग के लिए समर्पित है।
- इसकी **स्थापना 1967 में** हुई थी और इसका **मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में है।
- WIPO के वर्तमान में **193 सदस्य देश हैं। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना।**
- यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है, जो नवाचार में उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग है।

3.1.2. उद्देश्य (Objectives)

WIPO के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

- दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- WIPO द्वारा प्रशासित संधियों द्वारा स्थापित बौद्धिक संपदा संघों के बीच प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना।

3.1.3. निर्णय लेने वाली संरचनाएँ (Decision-making Structures)

- WIPO के अधिदेश, कार्यों, वित्त और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली शर्तें WIPO कन्वेंशन में निर्धारित की गई हैं।
- WIPO की रणनीतिक दिशा और गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले **सभी निर्णय WIPO के सदस्यों द्वारा** किए जाते हैं।
- WIPO सचिवालय पूरे वर्ष सदस्य राज्य निकायों की औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों का समन्वय करता है।
- यह WIPO कन्वेंशन सहित **26 संधियों का प्रबंधन** करता है।

3.1.4. WIPO कन्वेंशन

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन, जो **14 जुलाई, 1967 को स्टॉकहोम में संपन्न** हुआ (अनुच्छेद 2(viii)) यह प्रावधान करता है कि बौद्धिक संपदा में निम्नलिखित से संबंधित अधिकार शामिल होंगे:

- साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कार्य,
- प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का प्रदर्शन, फ़ोनोग्राम और प्रसारण,
- मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में आविष्कार,
- वैज्ञानिक खोज,
- औद्योगिक डिज़ाइन,

- ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न और व्यावसायिक नाम और पदनाम,
- अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा,
- औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधि से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार।

3.2. व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPS)

3.2.1. परिचय

- TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सबसे **महत्वपूर्ण और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता** है जो **1 जनवरी 1995 को लागू** हुआ।
- TRIPS पर समझौते पर 1986 से 1994 तक GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता- General Agreement on Tariffs and Trade) के उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ता के दौरान अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के साथ बातचीत की गई थी।
- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) समझौतों में से एक के रूप में, यह **सभी WTO सदस्य देशों के लिए पूरी तरह से बाध्यकारी है।**
- समझौते में पेटेंट, कॉपीराइट और संबंधित अधिकार (यानी कलाकारों के अधिकार, ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रसारण संगठनों के निर्माता), औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, व्यापार रहस्य, नई पौधों की किस्मों पर अपवर्जनात्मक अधिकार आदि सहित बौद्धिक संपदा के अधिकांश रूप शामिल हैं।
- TRIPS परिषद TRIPS समझौते के संचालन के प्रशासन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। अपनी नियमित बैठकों में, TRIPS परिषद प्रमुख मुद्दों पर सदस्यों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

3.2.2. समझौते की मुख्य विशेषताएं (Main Features of the Agreement)

मानक (Standards)

- TRIPS समझौते में शामिल बौद्धिक संपदा के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र के संबंध में, ये समझौता प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
- सुरक्षा के प्रत्येक मुख्य तत्व को परिभाषित किया गया है, अर्थात् संरक्षित की जाने वाली विषय-वस्तु, प्रदत्त अधिकार और उन अधिकारों के लिए स्वीकार्य अपवाद, और सुरक्षा की न्यूनतम अवधि।
- यह समझौता, सबसे पहले, WIPO के मुख्य कन्वेंशनों, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन के मूल दायित्वों की आवश्यकता के आधार पर इन मानकों को निर्धारित करता है। उनके नवीनतम संस्करणों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार TRIPS समझौते को कभी-कभी बर्न और पेरिस-प्लस समझौते के रूप में जाना जाता है।

प्रवर्तन (Enforcement)

- यह समझौता सभी IPR प्रवर्तन प्रक्रियाओं पर लागू होने वाले कुछ सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
- इसके अलावा, इसमें नागरिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उपायों, अंतिम उपायों, सीमा उपायों और आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित विशेष आवश्यकताओं पर प्रावधान शामिल हैं, जो एक निश्चित मात्रा में विस्तार से निर्दिष्ट करते हैं, प्रक्रियाएं और उपाय जो उपलब्ध होने चाहिए ताकि अधिकार धारक उनके अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

विवाद निपटान (Dispute settlement)

- यह समझौता WTO के सदस्यों के बीच TRIPS दायित्वों के सम्मान के बारे में विवादों को WTO की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के अधीन बनाता है।
- समझौते के तहत दायित्व सभी सदस्य देशों पर समान रूप से लागू होंगे, लेकिन विकासशील देशों के पास उन्हें चरणबद्ध करने के लिए लंबी अवधि है।
- TRIPS समझौता एक न्यूनतम मानक समझौता है, जो सदस्यों को यदि वे चाहें तो बौद्धिक संपदा की अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।
- सदस्यों को अपनी कानूनी प्रणाली और अभ्यास के भीतर समझौते के प्रावधानों को लागू करने की उचित विधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।

3.2.3. TRIPS के अंतर्गत सुरक्षा के पारंपरिक मानक (Substantive standards of protection under TRIPS)

कॉपीराइट

- यह साहित्य, कला, संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग, फिल्म और प्रसारण जैसी व्यापक सामग्री के रचनाकारों को आर्थिक अधिकार देता है, जिससे वे अपनी सामग्री के उपयोग को कई तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे प्रतियां बनाना, जनता के लिए प्रतियां जारी करना, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना, प्रसारण करना और ऑनलाइन उपयोग करना।
- यह कुछ प्रकार की सामग्री के निर्माता के रूप में पहचाने जाने और इसके विरूपण या विकृति पर आपत्ति करने का नैतिक अधिकार भी देता है।
- कॉपीराइट का उद्देश्य रचनाकारों को उनके प्रयासों के लिए आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त कराना है और इस प्रकार भविष्य की रचनात्मकता और नई सामग्री के विकास को प्रोत्साहित करना है जिससे हम सभी को लाभ होता है।
- हालाँकि, कॉपीराइट सुरक्षा अभिव्यक्तियों तक फैली हुई है न कि विचारों, प्रक्रियाओं, संचालन के तरीकों या गणितीय अवधारणाओं तक।
- **कंप्यूटर प्रोग्राम**, चाहे स्रोत या ऑब्जेक्ट कोड में हों, **साहित्यिक कार्यों के रूप में संरक्षित हैं।**
- डेटाबेस कॉपीराइट सुरक्षा के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे अपनी सामग्री के चयन या व्यवस्था के कारण बौद्धिक रचनाएँ बनाते हों।

संबंधित अधिकार

- कलाकारों, फोनोग्राम के निर्माताओं और प्रसारण संगठनों की सुरक्षा के प्रावधान संबंधित अधिकारों का गठन करते हैं।
- कलाकारों किसी फोनोग्राम (उदाहरण के लिए लाइव संगीत प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग) पर अपने प्रदर्शन के अनधिकृत निर्धारण को रोक सकते हैं।
- निर्धारण का अधिकार केवल श्रवण संबंधी निर्धारण को कवर करता है, दृश्य-श्रव्य निर्धारण को नहीं।
- प्रसारण संगठनों को अनधिकृत फिक्सेशन, फिक्सेशन के पुनरुत्पादन और प्रसारण के वायरलेस माध्यमों से पुनः प्रसारण के साथ-साथ अपने टेलीविजन प्रसारणों के जनता के साथ संचार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है।
- **फोनोग्राम के कलाकारों और निर्माताओं के लिए सुरक्षा की अवधि कम से कम 50 वर्ष और प्रसारण संगठनों के लिए 20 वर्ष है।**

ट्रेडमार्क

- यह सिस्टम उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा को पहचानने और खरीदने में मदद करता है क्योंकि इसकी प्रकृति और गुणवत्ता, इसके अद्वितीय ट्रेडमार्क द्वारा इंगित, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- ट्रेडमार्क, मार्क के मालिक को इसका उपयोग करने, वस्तुओं या सेवाओं की पहचान करने, या भुगतान के बदले में इसका उपयोग करने के लिए किसी अन्य को अधिकृत करने का विशेष अधिकार सुनिश्चित करके सुरक्षा प्रदान करता है।
- सुरक्षा की अवधि अलग-अलग होती है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर ट्रेडमार्क को समय सीमा से परे अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है।
- ट्रेडमार्क सुरक्षा अदालतों द्वारा लागू की जाती है, जिसके पास अधिकांश प्रणालियों में ट्रेडमार्क उल्लंघन को रोकने का अधिकार होता है।
- ट्रेडमार्क **एक या शब्दों, अक्षरों और अंकों का संयोजन** हो सकता है।
- उनमें चित्र, प्रतीक, त्रि-आयामी संकेत जैसे कि सामान का आकार और पैकेजिंग, श्रव्य संकेत जैसे संगीत या स्वर ध्वनि, सुगंध, या विशिष्ट विशेषताओं के रूप में उपयोग किए जाने वाले रंग शामिल हो सकते हैं।

पेटेंट

- पेटेंट **नए आविष्कारों की सुरक्षा** करता है और यह कवर करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, वे क्या करती हैं, वे इसे कैसे करती हैं, वे किस चीज से बनी हैं और कैसे बनाई जाती हैं।
- यदि पेटेंट आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो यह मालिक को दूसरों को अनुमति के बिना आविष्कार बनाने, उपयोग करने, आयात करने या बेचने से रोकने के लिए नागरिक कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की क्षमता देता है। इसमें अदालतों के माध्यम से कथित उल्लंघनकर्ता पर मुकदमा चलाना शामिल हो सकता है।

- TRIPS समझौते के तहत सदस्य देशों को नवीनता, आविष्कारशीलता और औद्योगिक प्रयोज्यता के सामान्य परीक्षणों के अधीन बिना किसी भेदभाव के प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में किसी भी आविष्कार, चाहे उत्पाद या प्रक्रिया, के लिए पेटेंट उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

पेटेंट योग्यता पर बुनियादी नियम के तीन स्वीकार्य अपवाद हैं:

- एक सार्वजनिक आदेश या नैतिकता के विपरीत आविष्कारों के लिए है - इसमें स्पष्ट रूप से मानव, पशु या पौधे के जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल आविष्कार शामिल हैं।
- दूसरा अपवाद यह है कि सदस्य मनुष्यों या जानवरों के इलाज के लिए पेटेंट योग्यता निदान, चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा पद्धतियों को बाहर कर सकते हैं।
- तीसरा यह है कि सदस्य गैर-जैविक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रक्रियाओं के अलावा पौधों या जानवरों के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों और अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं के अलावा अन्य पौधों और जानवरों को बाहर कर सकते हैं।
- पेटेंट संरक्षण से पौधों की किस्मों को बाहर करने वाले किसी भी देश को सुरक्षा की एक प्रभावी *सुई जेनेटिक्स* प्रणाली प्रदान करनी होगी। (अनुच्छेद 27.3(बी)).

भौगोलिक संकेत (Geographical Indication-GI)

- भौगोलिक संकेत उन वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान से संबंधित होती हैं।
- आमतौर पर, भौगोलिक संकेत में सामग्री की उत्पत्ति के स्थान का नाम शामिल होता है।
- कृषि उत्पादों में आम तौर पर ऐसे गुण होते हैं जो उनके उत्पादन के स्थान से प्राप्त होते हैं और जलवायु और मिट्टी जैसे विशिष्ट स्थानीय कारकों से प्रभावित होते हैं।
- किसी चिन्ह को भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी गई है या नहीं यह राष्ट्रीय कानून का मामला है।
- भौगोलिक संकेतों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए किया जा सकता है, चाहे वे प्राकृतिक, कृषि या निर्मित हों।

औद्योगिक डिजाइन

- समझौते के **अनुच्छेद 25 और 26** में कहा गया है कि सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से तैयार किए गए ताजा या अद्वितीय औद्योगिक डिजाइन संरक्षित हैं।
- समझौता औद्योगिक डिजाइनों को कम से कम **10 वर्षों तक संरक्षित** करने का वादा करता है।
- जब ऐसी गतिविधियाँ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाती हैं, तो अधिकार धारक उन तीसरे पक्षों पर प्रतिबंध लगा सकता है जिनके पास संरक्षित डिजाइन को शामिल करने वाली वस्तुओं के उत्पादन, आयात या बिक्री से धारक का समझौता नहीं है।

एकीकृत सर्किट के लेआउट-डिजाइन (Layout-Designs of Integrated Circuits)

- TRIPS समझौते में सदस्य देशों को IPIC संधि (एकीकृत सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा पर संधि-Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits) के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत सर्किट के लेआउट-डिज़ाइन की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, जिस पर **समझौता वार्ता 1989 में की गई थी।**
- ये प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, "एकीकृत सर्किट" और "लेआउट-डिज़ाइन (स्थलाकृति)" की परिभाषाओं, सुरक्षा की आवश्यकताओं, विशेष अधिकारों और सीमाओं के साथ-साथ शोषण, पंजीकरण और प्रकटीकरण से संबंधित हैं।

अज्ञात सूचना का संरक्षण

- समझौते के **अनुच्छेद 39** में सदस्य राज्यों को समझौते के प्रावधानों के अनुसार व्यापार रहस्य सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
- TRIPS का कहना है कि सदस्य देशों को ऐसी जानकारी को उस व्यक्ति की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को प्रकट करने, प्राप्त करने या उपयोग करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए, जो कानूनी रूप से इसके कब्जे में है, जो निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के साथ असंगत है।
- ऐसी जानकारी गोपनीय होनी चाहिए, इसकी गोपनीयता के परिणामस्वरूप इसका व्यावसायिक मूल्य होना चाहिए, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे छिपाए रखने के लिए उचित प्रयासों के अधीन होना चाहिए।

संविदात्मक लाइसेंस में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का नियंत्रण (Control of Anti-competitive Practises in Contractual Licenses)

- TRIPS समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कुछ लाइसेंसिंग प्रथाओं या शर्तों को मान्यता देता है जो प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और प्रसार में बाधा डाल सकते हैं।
- सदस्य देश, समझौते के अन्य प्रावधानों के अनुरूप, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लाइसेंस में उन प्रथाओं को रोकने या नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय अपना सकते हैं जो अपमानजनक और प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं।

3.3. प्लांट ब्रीडर के अधिकार (Plant Breeder's Rights)

- पादप प्रजनक के अधिकार 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आए, जब फसल पौधों की उन्नत किस्मों की वजह से कई विकसित और विकासशील देशों ने उच्च कृषि उत्पादकता या हरित क्रांति के युग में प्रवेश किया।
- प्लांट ब्रीडर्स राइट्स प्लांट ब्रीडर्स द्वारा नई किस्मों के प्रजनन और विकास में किए गए निवेश के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह सुरक्षा पौधे की किसी भी प्रजाति के प्रजनकों के लिए खुली है; कृषि, बागवानी और सजावटी।
- इस प्रकार पादप प्रजनकों के अधिकार बौद्धिक संपदा का एक रूप है जिसे विशेष रूप से पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ**, जिसे "UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants)" के नाम से जाना जाता है, एक अंतरसरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- UPOV का मिशन समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ("UPOV कन्वेंशन") द्वारा की गई थी, जिस पर **1961 में पेरिस में हस्ताक्षर** किए गए थे।
- यह कन्वेंशन **1968 में लागू हुआ**। इसे 1972, 1978 और 1991 में जिनेवा में संशोधित किया गया। 1991 का अधिनियम 24 अप्रैल, 1998 को लागू हुआ। यह UPOV कन्वेंशन का वर्तमान में स्वीकृत संस्करण है।
- UPOV कन्वेंशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संघ के सदस्य स्पष्ट रूप से परिभाषित सिद्धांतों के एक सेट के आधार पर, पौधों की नई किस्मों के प्रजनकों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करके उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें।
- संरक्षण के लिए पात्र होने के लिए, किस्मों को (i) मौजूदा, आमतौर पर ज्ञात किस्मों से अलग होना चाहिए, (ii) पर्याप्त रूप से समान, (iii) स्थिर और (iv) इस अर्थ में नया होना चाहिए कि सुरक्षा के लिए आवेदन की तारीख के संदर्भ में स्थापित कुछ निश्चित तारीखों से पहले उनका व्यावसायीकरण नहीं किया गया हो।
- UPOV कन्वेंशन सुरक्षा का न्यूनतम दायरा निर्धारित करता है और सदस्यों को अपने कानून में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखने की संभावना प्रदान करता है।

4. भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 (Indian Patent Act, 1970)

- भारतीय पेटेंट अधिनियम (IPA) 1970, जो **1972 में लागू हुआ**, कई मायनों में पेटेंट प्रणाली के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ था।
- इसने न केवल अत्यधिक संवेदनशील और सामाजिक रूप से प्रासंगिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट के अनुदान को अस्वीकार कर दिया, बल्कि इन क्षेत्रों में प्रक्रिया पेटेंट के लिए वैधता **अवधि को दाखिल करने की तारीख से सात साल या सीलिंग की तारीख से पांच साल**, जो भी पहले हो, तक सीमित कर दिया।
- चूंकि एक नई दवा की खोज और विकास के लिए आवश्यक अवधि 10 वर्ष से कम नहीं है, वैधता की छोटी अवधि के साथ प्रक्रिया पेटेंट के प्रावधान ने इस प्रणाली को ही निरर्थक बना दिया था।
- भारतीय पेटेंट प्रणाली में इस तरह के आमूल-चूल परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग की प्रकृति और चरित्र में एक बड़ा बदलाव आया।
- कई विदेशी कंपनियाँ IPA 1970 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act-FERA) के प्रावधानों से हतोत्साहित हो गईं, जो केवल 40 प्रतिशत या उससे कम

विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के लिए नए निवेश की अनुमति देती थीं और उन्होंने भारत में काम नहीं करने का विकल्प चुना।

- यदि भारत आज व्यावहारिक रूप से सभी वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में एक स्वीकृत लीडर है, तो इसका श्रेय इस कानून को दिया जाना चाहिए।
- वास्तव में, IPA 1970 के एक दशक के भीतर, भारतीय उद्योग का क्रम पूरी तरह से बदल गया और भारतीय कंपनियों ने शीर्ष दस में से सात स्थानों पर कब्जा कर लिया, जो कि 1970 से पहले के युग के विपरीत था।

4.1. पेटेंट अधिनियम, 1970 (2005 तक संशोधित) (The Patents Act, 1970–as amended up to 2005)

- पेटेंट अधिनियम, 1970 में **तीन संशोधनों के माध्यम से**, भारत ने भारत पेटेंट कानून को काफी हद तक **TRIPS के अनुरूप** बना दिया है।
- इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन खाद्य, फार्मा और रसायन उद्योग को प्रक्रिया और उत्पाद दोनों के लिए पेटेंट संरक्षण के दायरे में शामिल करना है।
- मूल पेटेंट अधिनियम, 1970 ने इन तीन क्षेत्रों को उत्पाद पेटेंटिंग से बाहर रखा था और उन्हें प्रक्रिया पेटेंट संरक्षण की एक संक्षिप्त अवधि दी गई थी।
- अधिनियम ने एक धारा भी पेश की जो निर्यात उद्देश्यों के लिए फार्मास्यूटिकल्स के अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित है।
- इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को उन कम से कम विकसित देश को पेटेंट दवाओं के सस्ते जेनेरिक संस्करणों की आपूर्ति जारी रखने की सुविधा प्रदान करना है जिनके पास पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमताएं नहीं हैं।

नोवार्टिस मामले

- नोवार्टिस बनाम भारत संघ और अन्य एक ऐतिहासिक मामला था, जिसकी सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने की थी। मामला फार्मास्यूटिकल पेटेंट को सदाबहार बनाने के मुद्दे से जुड़ा था।
- इस मामले में निर्णय 01 अप्रैल, 2013 को सुनाया गया, इस प्रकार बीटा क्रिस्टलीय रूप में इमैटिनिब मेसाइलेट पर भारतीय पेटेंट देने के लिए नोवार्टिस द्वारा लड़ी गई सात साल की लंबी मुकदमेबाजी समाप्त हो गई।
- एक पेटेंट, जैसा कि नोवार्टिस चाहता था, भारतीय जेनेरिक दवा निर्माताओं को यौगिक के आधार पर दवाओं का उत्पादन करने से रोक देता।
- हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नोवार्टिस ने जिस पदार्थ को पेटेंट कराने की मांग की है, वह पहले से ही ज्ञात है और इस प्रकार पेटेंट अधिनियम, 1970 (2005 में संशोधित) की भारतीय **धारा 2(1)(जे) और धारा 2(1)(जे ए)** में निर्धारित आविष्कार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पेटेंट आवेदन खारिज कर दिया।

- अनिवार्य रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस के आवेदन को पेटेंट संरक्षण से इनकार करने के बौद्धिक संपदा अपीलिय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इमैटिनिब के बीटा क्रिस्टलीय रूप को शामिल किया गया था - दवा नोवार्टिस ग्लिवेक के रूप में ब्रांड है, और जो **क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया के रूप में जाने जाने वाले कैंसर** के रूप के खिलाफ बहुत प्रभावी है।
- यह निर्णय नोवार्टिस के लिए एक निर्णायक झटका था, जिसने एक विशिष्ट प्रकार के ल्यूकेमिया के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा इमैटिनिब के लिए भारतीय बाजार पर एकाधिकार करने का प्रयास किया था।

फैसले का महत्व

- नोवार्टिस के पेटेंट आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व आविष्कारशीलता की उच्च सीमा के साथ एक शासन को कायम रखने और वैध बनाकर पेटेंट और नवाचार के बीच संबंध को बहाल करने में निहित है।
- निर्णय ने पहली बार **भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी) की वैधता** और दायरे का परीक्षण किया, जो ज्ञात पदार्थों के नए रूपों के लिए पेटेंट के अनुदान को रोकता है, जब तक कि आवेदक यह स्थापित नहीं कर लेता कि नया फॉर्म बड़ी हुई प्रभावकारिता प्रदर्शित करता है।
- यह निर्णय इमैटिनिब या इमैटिनिब मेसाइलेट पॉलीमॉर्फ पर आधारित जीवन रक्षक दवाओं के कम लागत वाले जेनेरिक संस्करणों की स्थिर उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है।

4.2. अनिवार्य लाइसेंसिंग और नेक्सवर मामला (Compulsory Licensing & The Nexavar case)

अनिवार्य लाइसेंस

- अनिवार्य लाइसेंस को आम तौर पर पेटेंट मालिक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट आविष्कार बनाने, उपयोग करने या बेचने की अनुमति देने वाले प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- 2012 में, पेटेंट कार्यालय ने नेक्सवर के लिए नेटको को भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस जारी किया - सोराफेनीब टॉसिलेट, जो बायर द्वारा निर्मित एक कैंसर रोधी दवा है।

अनिवार्य लाइसेंस के संबंध में प्रचलित कानून: पेटेंट अधिनियम, 1970

- धारा 84 के अनुसार, कोई भी इच्छुक व्यक्ति उस पेटेंट की तारीख से तीन साल के बाद पेटेंट पर अनिवार्य लाइसेंस देने का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई हैं, या कि पेटेंट किया गया आविष्कार जनता के लिए उचित किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, या कि पेटेंट किए गए आविष्कार का भारत के क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जाता है।

नेक्सवर केस

- मार्च 2013 में बौद्धिक संपदा अपीलिय बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board-IPAB) ने बहुराष्ट्रीय फार्मा प्रमुख बायर कॉर्पोरेशन की पेटेंट **कैंसर दवा सोराफेनीब जो नेक्सवर ब्रांड नाम से बिकता है** का उत्पादन और विपणन करने के लिए हैदराबाद स्थित जेनेरिक दवा निर्माता

नैटको फार्मा लिमिटेड को अनिवार्य लाइसेंस देने को बरकरार रखा। इस आदेश से महंगी जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कमी का रास्ता साफ हो गया।

- बायर कॉर्पोरेशन द्वारा दायर एक अपील का निपटारा करते हुए, बोर्ड ने माना कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और भारतीय कानूनों ने सदस्य देशों को जीवन रक्षक दवा को जनता के लिए सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के अनिवार्य लाइसेंस देने की अनुमति दी है।
- नियंत्रक द्वारा लगाई गई लाइसेंस शर्तों के अनुसार, नैटको को जेनेरिक दवा सोराफेनीब की बिक्री से बायर को छह प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करना था। इसे संशोधित करते हुए IPAB ने नैटको को सात प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया।

एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- इस मामले में सोराफेनीब नामक दवा शामिल है, जिसका उपयोग मरीज के जीवन को बढ़ाने के लिए उन्नत यकृत और गुर्दे के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है।
- दवा के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पेटेंट बहुराष्ट्रीय कंपनी, बायर कॉर्पोरेशन के पास है। बायर ने 2008 में भारत में पेटेंट प्राप्त किया।
- नेक्सावर के **120 गोलियों के एक पैक की कीमत रु. 2.8 लाख** है, जो एक महीने की खुराक के बराबर है। ऐसे रोगियों के लिए यह दवा उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए एक वरदान है। लेकिन, बायर से दवा की उपलब्धता 2.8 लाख रुपये की बिक्री मूल्य पर है जो एक महीने की खुराक के लिए भारतीय जनता के लिए बहुत महंगी है।
- 9 मार्च, 2011 को, पेटेंट नियंत्रक, मुंबई ने **नैटको को** 'सोराफेनीब टॉसिलेट' बनाने के लिए **पहला अनिवार्य लाइसेंस** प्रदान किया, जो बायर की उच्च कीमत वाली कैंसर रोधी दवा नेक्सावर का एक सामान्य संस्करण है। नैटको को दवा के पैक को **8,800 रुपये में बेचने** के लिए कहा गया था।
- इसके बाद बायर ने IPAB के समक्ष नियंत्रक के आदेश के खिलाफ अपील की। अन्य कारणों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि सिप्ला ने अपने जेनेरिक संस्करण को कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया था, जिससे अनिवार्य लाइसेंस अनावश्यक हो गया क्योंकि दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध थी।
- अनिवार्य लाइसेंस को बरकरार रखते हुए, IPAB ने बताया कि पेटेंट प्राप्त करने के बाद भी, बायर ने निर्धारित समय के भीतर दवा को बड़े पैमाने पर और किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराया था।
- बायर द्वारा दायर विभिन्न प्रस्तुतियों और हलफनामों पर गौर करते हुए, बोर्ड इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि इसकी 2.8 लाख रुपये की कीमत सस्ती नहीं थी।
- पश्चिमी दवा कंपनियों के लिए अन्य झटके यह थे कि भारत ने फाइजर इंक की कैंसर दवा सुटेंट, रोश होल्डिंग एजी की हेपेटाइटिस सी दवा पेगासिस और मर्क एंड कंपनी की अस्थमा उपचार एयरोसोल सस्पेंशन फॉर्मूलेशन को दिए गए पेटेंट भी रद्द कर दिए थे।

4.3. पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 (Patents (Amendment) Rules, 2021)

- पेटेंट नियम, 2003 को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया जो **21 सितंबर 2021 को लागू हुआ।**
- नियमों ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट दाखिल करने और **अभियोजन के शुल्क को 80 प्रतिशत तक कम** कर दिया।
- ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- इस आशय के सहायक दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करके "शैक्षणिक संस्थान" श्रेणी का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए लागू शुल्क किसी व्यक्ति, स्टार्टअप या छोटी इकाई के समान ही कर दिया गया है।